न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 02/ विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), फर्रूखाबाद।

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–85/2025

राज्य बनाम शैलेन्द्र राजपूत उर्फ विक्रान्त सिंह

अपराध संख्या–99/2023
धारा–352, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(ध),3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना–जहानगंज

दिनांकः 06–02–2025

आज थाना जहानगंज, जिला फर्रुखाबाद की ओर से दाखिल आरोपपत्र संख्या 105/2023 दिनांकित 09–06–2023, अपराध संख्या 99/2023, थाना जहानगंज प्राप्त होने के उपरान्त पेश हुआ। आरोपपत्र संख्या 105/2023 दिनांकित 09–06–2023, अपराध संख्या 99/2023 अभियुक्त शैलेन्द्र राजपूत उर्फ विक्रान्त सिंह पुत्र रामनरेश के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 352, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(ध), 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 10–07–2023 को अग्रसारित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय का ध्यान संज्ञान के प्रश्न पर सुनवाई किए जाने से पूर्व इस तथ्य पर आकर्षित किया गया कि इस मामले में विवेचक/क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार द्वारा सर्वप्रथम आरोपपत्र दिनांकित 09–06–2023 अपने पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया, जिसे अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश दिनांकित 10–07–2023 से पर्यवेक्षण के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय प्रेषित किए जाने हेतु पृष्ठांकित किया गया। परन्तु आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया। इसी मध्य पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ द्वारा आदेश दिनांकित 20–09–2023 से आरोपपत्र में विवेचना निम्न दो बिन्दुओं पर मौन होने का मत व्यक्त किया गया हैः–

(1) चश्मदीद साक्षी ए०एन०एम० श्रीमती रजनेश दीक्षित का बयान अंकित नहीं है।

(2) नामित शिवानन्द द्वारा सहायिका रश्मी के मोबाइल नम्बर 8429161315 से वादिनी के मोबाइल नम्बर 8009039076 से वार्ता होने के सम्बन्ध में सी०डी०आर० प्राप्त नहीं है।

तद्नुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा साक्षी श्रीमती रजनेश दीक्षित का बयान दर्ज करने एवं उक्त मोबाइल नम्बर के बावत सी०डी०आर० प्राप्त कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकत 20–09–2023 के आलोक में पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा भी आदेश

दिनांकित 23–09–2023 से पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गये निर्देश के आलोक में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद, अरुण कुमार (विवेचक) को अग्रिम विवेचना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुक्रम में क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) द्वारा चश्मदीद साक्षी श्रीमती रजनेश दीक्षित का बयान दिनांक 14–01–2024 को पूरक केस डायरी संख्या–8 के रुप में दिनांक 14–01–2024 को दर्ज किया गया। उसके पूर्व प्रभारी सर्विलांस को पत्र दिनांकित 27–09–2023 प्रेषित कर उक्त दोनो मोबाइल नम्बर की सी०डी०आर० दिनांक 22–08–2022 से दिनांक 30–08–2022 तक के लिए आहूत की गई। परन्तु उक्त सी०डी०आर० प्राप्त हुए बिना ही दिनांक 27–01–2024 को पूरक केस डायरी पर्चा संख्या–9 में यह वर्णित किया गया कि चूंकि एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इसलिए विवेचना की सम्बन्धित सी०डी०आर० प्राप्त नहीं हुई तथा उक्त पूरक आरोपपत्र संख्या–09 दिनांकित 27–01–2024 से ही विवेचना समाप्त कर दी गई। लेकिन सी०डी०आर० उपलब्ध नहीं होने के बावत प्रभारी सर्विलांस, जनपद फतेहगढ़ अथवा सम्बन्धित सेवा प्रदाता कम्पनी की कोई भी लिखित आख्या अथवा उनके बयान केस डायरी में दर्ज नहीं किए गए गये जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार नियमों में परिवर्तन होकर अब सी०डी०आर० उपलब्ध कराने की समयसीमा 01 वर्ष से बढ़कर 02 वर्ष कर दी गई है। दिनांक 27–01–2024 को उक्त विवेचना समाप्त करने के उपरान्त क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) द्वारा पूर्व प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 09–06–2023 एवं पूरक केस डायरी संख्या–01 से 09 अपने पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गई, जिनके द्वारा उस पर केवल देखने का पृष्ठांकन कर हस्ताक्षर बनाया गया, परन्तु उस पर तिथि अंकित नहीं की गई। तदुपरान्त उक्त आरोपपत्र एवं केस डायरी लम्बे समय तक पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक के पास अथवा अन्य पुलिस अनुभाग में रखी रही तथा न्यायालय के कार्यालय में दिनांक 24–01–2025 को (अर्थात एक वर्ष के विलम्ब से) प्राप्त करायी गयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय का ध्यान इस तथ्य पर भी आकृष्ट किया गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त केस डायरी एवं आरोपपत्र पुलिस अनुभाग में क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार अथवा पर्यवेक्षण अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पास जानबूझकर रोके रखी गयी ताकि दिनांक 22–08–2022 से दिनांक 30–08–2022 तक का सी०डी०आर० दो वर्ष बीत जाने के कारण प्राप्त न हो सके। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह भी दर्शित हो रहा है कि क्षेत्राधिकारी अथवा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा ऐसा जानबूझकर इसलिए किया गया ताकि पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20–09–2023 की महत्ता को परोक्ष रुप से समाप्त कर दिया जाए।

यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। प्रथम दृष्टया विद्वान विशेष लोक अभियोजक की तरफ से किये गये कथानक से सहमत होते हुए मेरे मत में उक्त दोनों पुलिस अधिकारी अर्थात क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) एवं पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार से इस बावत विशिष्ट बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) एवं पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार को आदेशित किया जाता है कि वे अगली तिथि तक निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें–

(1) क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) द्वारा अन्तिम पूरक केस डायरी संख्या–09 दिनांकित 27–01–2024 के उपरान्त किस तिथि को आरोपपत्र सहित समस्त प्रपत्र अपर पुलिस अधीक्षक को प्राप्त कराये गये।

(2) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किस तिथि को उक्त आरोपपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

(3) आरोपपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों को युक्ति–युक्त समय के अन्दर इस न्यायालय के कार्यालय में क्यों नहीं प्राप्त कराया गया।

(4) क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) द्वारा प्रश्नगत सी०डी०आर० के उपलब्ध नहीं होने के बावत सम्बन्धित सर्विलांस प्रभारी अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी से इस सम्बन्ध में लिखित आख्या क्यों नहीं प्राप्त की गयी अथवा उनके बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए कि क्यों सम्बन्धित सी०डी०आर० उपलब्ध नहीं हो सकता था।

पत्रावली दिनांक 28–02–2025 को संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो। मामला प्रकीर्णवाद के रुप में दर्ज रजिस्टर हो। वादी को संज्ञान के प्रश्न पर सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो।

इस आदेश की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बधित क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार (विवेचक) एवं पर्यवेक्षण अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार को प्रेषित की जाए।

(**अभिनितम उपाध्याय**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
फर्रूखाबाद।